

पत्र संख्या-आई0टी0/ एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/ 1205 /1617065/ वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश  
(आई0टी0-अनुभाग)

दिनांक // लखनऊ // फरवरी, 23 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/710/ वाणिज्य कर दिनांक 26.10.2016, पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/855/ वाणिज्य कर दिनांक 01.12.2016 तथा समय-समय पर जारी पत्र/परिपत्र का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रस्तावित जी0एस0टी0 व्यवस्था हेतु विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के पैन अपडेशन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

2- उपरोक्त मुख्यालय के पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/710/ वाणिज्य कर दिनांक 26.10.2016 द्वारा सरकारी विभाग तथा अन्य फर्मों जिनके एक ही PAN पर एक से अधिक TIN आवंटित किये गये हैं की सूची आपके ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराते हुए PAN Updation की कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये थे। यह अत्यंत खेदजनक है कि फील्ड अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रुचि न लेने के कारण उक्त कार्य अभी तक सम्पादित नहीं किया जा सका है। आप अवगत हैं कि प्रस्तावित GST व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु विभागीय डाटाबेस में पंजीकृत समस्त व्यापारियों के PAN सत्यापित कर GSTN के डाटाबेस में Migrate किया जाना आवश्यक है। अतः प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि से पूर्व PAN सत्यापित करने के कार्य को पूर्ण किया जाना अपरिहार्य है।

3- एक ही PAN पर एक से अधिक TIN के सम्बन्ध में GSTN से Provisional ID तथा Password सहित माह जनवरी, 2017 में प्राप्त डाटा का मुख्यालय स्तर से विश्लेषण करने पर निम्न प्रकार अपेक्षित कार्यवाही फील्ड स्तर पर किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं:-

**1- ऐसे व्यापारी जिनका डाटा सत्यापित प्रतीत होता है:-**

ऐसे व्यापारी जिनका डाटा प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है, का विवरण List-1 में है जो कि सम्बंधित खण्डाधिकारी के Login पर GSTN Provisional ID व Password सहित उपलब्ध होगी किन्तु खण्ड अधिकारी द्वारा सम्बंधित व्यापारी को Provisional ID तथा Password उपलब्ध कराने से पूर्व PAN Card की छायाप्रति से भौतिक रूप से डाटा तथा व्यापारी का सत्यापन किया जाना आवश्यक होगा। यह कार्य दिनांक 28-02-2017 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

**2- ऐसे व्यापारी जिनका डाटा असत्यापित प्रतीत होता है :-**

ऐसे व्यापारी जिनका डाटा प्रथम दृष्टया असत्यापित प्रतीत होता है, का विवरण List-2 में है जो कि सम्बंधित खण्डाधिकारी के Login पर GSTN Provisional ID व Password सहित तथा सम्बंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) की Login पर केवल व्यापारिक विवरण सम्बंधित सूची MIS report में उपलब्ध होगी।


(i) ऐसे व्यापारी जिनके एक से अधिक TIN एक ही खण्ड में हैं तो कर निर्धारण अधिकारी जांचोपरान्त अपने स्तर से PAN सत्यापित कर GSTN Provisional ID व Password सही व्यापारी को उपलब्ध कराई जायेगी। यह कार्य दिनांक 28-02-2017 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(ii) ऐसे व्यापारी जिनका TIN एक ही Location के विभिन्न खण्डों में अथवा विभिन्न Location में है तो सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा विभिन्न सम्भागों/लोकेशन के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सही व्यापारी को GSTN Provisional ID व Password उपलब्ध कराये जाने विषयक कार्यवाही करवाई जायेगी। इस कार्य को व्यक्तिगत रुचि लेकर पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व जोनल एडीशनल कमिश्नर का होगा। यह कार्य दिनांक 28-02-2017 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(iii) यदि व्यापारी द्वारा अपना PAN अपडेट अथवा TIN सत्यापित नहीं कराया जाता है तो सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार TIN निरस्तरीकरण की कार्यवाही दिनांक 10.03.2017 तक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) यदि व्यापारी द्वारा अपना PAN अपडेट कराया जाता है तो सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी द्वारा मुख्यालय के पत्र संख्या-आई0टी0-GST अपडेशन माइग्रेशन/(2016-17)// 977 // वाणिज्य कर दिनांक 10.01.2017 द्वारा जारी निर्देशानुसार कार्यवाही दिनांक 10.03.2017 तक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार एक ही PAN पर एक से अधिक TIN को सत्यापित करते हुए सम्बन्धित व्यापारी को Provisional ID व Password उपलब्ध कराने का कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

  
(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर(जी0एस0टी0/आई0टी0)  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।